

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0स0 / 15 / 2020

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित

तहसीलदार, माण्डलगढ़

विषय :- फाथरगढ़ी करने बाबत।

## सुनवान

1. कैलाशचन्द पिता भूरात्वाल ब्राह्मण निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।

—प्राथीगण

## बनाम

1. रामेश्वराम पिता कैलाशचाल पारीक निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजकुमार पिता रामचाल पारीक निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।
3. गोपाल पिता हजारो बैरवा निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।
4. दीपक पिता कृष्णचन्द पारीक निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।
5. सोहन-दीदी पतिम भूरात्वाल पारीक निकासी जातिमा तहसील माण्डलगढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अर्पणता धारा 111-120 राजस्थान \* राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत अन्यायिक प्रकरण नं. आदेश हीकर लेख है कि द्वाय जातिमा पह जातिमा की सरहद से स्थित खाला संख्या 26 की आराजी संख्या 618, 692, 693, 663/620 किला 4 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि बराभरतात पट्टीसीवान के फाथरगढ़ी की जावे। प्राथी कमिश्नर कीस 500/- रुपये शीक पर उक्त फाथरगढ़ी अदा करे। शीक पर फाथरगढ़ी के दौरान कबजा किसी अन्य का जावे तो सक्षम न्यायालय से वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे।

फाथरगढ़ी कर फालना सिटीट 1 माह से आउरवक समय से प्रस्तुत करे।

उत्साह प्रोत्सरी(आई ए एस)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़

